समाहरणालय, दरभंगा

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

दिनांक 09.03.2015 को आयोजित जिला स्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक बैठक में लिए गए निर्णय

क्र	लिए गए निर्णय का सारांश	सम्बद्ध पदाधिकारी
1.	वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए सभी कार्यकारी एजेन्सियों को निदेश दिया गया कि वे कार्य में तेजी लाते हुए प्राप्त आवंटित राशि का शत् प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करें। निर्धारित समय पर विपत्र कोषागार में प्रस्तुत करें। 18 फरवरी 2015 तक प्राप्त सभी आवंटनों का विपत्र 10 मार्च तक तथा 15 मार्च तक प्राप्त आवंटनों का विपत्र अगले पॉच दिनों में कोषागार में प्रस्तुत कर दिया जाना है। इस निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया गया। माह फरवरी 2015 का वेतन विपत्र अगले दो दिनों के अन्दर निश्चित रूप से कोषागार में प्रस्तुत करने का निदेश भी उन्हें दिया गया।	सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
2.	समाहरणालय के सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि प्राप्त आवंटनों में से जितनी राशि का कार्य हो चुका है, उसकी निकासी निश्चित रूप से कर ली जाय। किसी भी स्थिति में अनावश्यक रूप से राशि प्रत्यार्पित न की जाय।	समाहरणालय के सभी शाखओं के प्रभारी पदाधिकारी
3.	दिनांक 22.03.15 को बिहार दिवस मनाया जाना है, इस संबंध में पूर्व में एक बैठक हो चुकी है और सभी पदाधिकारियों को दायित्व दिये जा चुके है। संबंधित पदाधिकारियों को पुनः निदेशित किया गया कि वे इस अवसर पर गठित कोषांगों के माध्यन से कार्यो के निष्पादन में तेजी लावें।	सबंधित पदाधिकारी
4.	सम्पत्ति की विवरणी की समीक्षा के कम में स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि कुल 9171 कर्मियों में से सिर्फ 367 को छोड़कर शेष का सम्पत्ति विवरणी प्राप्त हो चुका है, जिनकी विवरणी प्राप्त नहीं हुई है, उसमें से दरभंगा कोषागार अन्तर्गत 304 तथा बेनीपुर कोषागार अन्तर्गत 63 कर्मी शामिल है। उन्हे निदेश दिया गया कि जिन कर्मियों की विवरणी प्राप्त नहीं हुई है, उनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को चिन्हित करते हुये उसके विरूद्ध प्रपत्र–क गठित कर विभाग को भेंजे। स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा यह भी बताया गया कि प्राप्त सम्पत्ति की विवरणी में से 7351 का टैगिंग हो चुका है तथा 1764 का टैगिंग शेष है, जो किया जा रहा है। उन्हें निदेश दिया गया कि कार्य में तेजी लाते हुए इस सप्ताह में शत् प्रतिशत टैगिंग सुनिश्चित करावें।	स्थापना उप समाहर्त्ता
5.	विकलांगता जॉच की समीक्षा के कम में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को निदेश दिया गया कि किस प्रखंड में कितने विकलांगता की जॉच हुई और कितना प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया, इसका डाटा एकत्र कर प्रतिवेदन अविलंब समर्पित करें। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा बताया गया कि दृष्टि विकलांगता एवं मानसिक विकलांगता से संबंधित व्यक्तियों के विकलांगता की जॉच के लिए और शिविर लगाये जाने की आवश्यकता है, उन्हें ऐसे रोगियों का डाटा एकत्रित कर समर्पित करने तथा इस कार्य के लिए चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति आवश्यक उपकरणों के साथ करने के लिए स्वास्थ्य विभाग से पत्राचार करने का निदेश दिया गया।	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा

8.	धान अधिप्राप्ति की समीक्षा के कम में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पैक्सों द्वारा कुल 13562 एम0टी0 धान की अधिप्राप्ति की गयी है, जिसके विरूद्ध अभी तक मात्र 6.93 करोड़ का भुगतान प्राप्त हुआ है। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्सों के माध्यम से 7843 एम0टी0 तथा सीधे किसानों से 680 एम0टी0 धान की अधिप्राप्ति की गयी है। समीक्षा के कम में पाया गया कि लगभग 15 करोड़ रूपये के धान की अधिप्राप्ति अभी तक की जा चुकी है, जिसकी तुलना में भुगतान काफी कम हुआ है। भुगतान में तेजी लाने का निदेश जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को दिया गया। समीक्षा के कम में यह भी स्पष्ट हुआ कि बहेड़ी प्रखंड में राज्य खाद्य निगम के कय केन्द्र पर विलंब से धान जमा किया गया है एवं वहाँ किसानों को अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, दरभंगा तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी को आज ही बहेड़ी प्रखंड जाकर मामले को सुलझाते हुये किसानों का भुगतान करवाने एवं अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को आज ही बेस गोदाम की खोज कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। अग्रिम सी0एम0आर0 की समीक्षा के कम में पाया गया कि अभी तक कुल 1400 एम0टी0 धान मिलों को उपलब्ध कराये जा चुके है। परन्तु मिलों द्वारा मात्र 29 लॉट अग्रिम सी0एम0आर0 उपलब्ध कराया गया है, जो काफी कम है। इसमें तेजी लाने का निदेश जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को दिया गया। अपर समाहर्त्ता, दरभंगा को इसका अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।	अपर समाहर्त्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, दरभंगा तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी
9.	पेंशन वितरण योजना की समीक्षा के कम में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा बताया गया कि लगभग 70 प्रतिशत पेंशन का वितरण अभी तक हो चुका है। जिन मदों में राशि की आवश्यकता है, उसका डिमांड बनाकर विभाग को भेजा जा चुका है। उन्हें वितरण कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा
10.	विद्युत विभाग की कार्यों की समीक्षा के कम में कार्यपालक अभियंता, शहरी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा द्वारा बताया गया कि गत माह में 5.39 करोड़ राजस्व की वसूली हुई है। 14 प्राथमिकी दर्ज की गयी है, कोई भी ट्रान्सफॉर्मर नहीं जला है। 3.6 किलोमीटर में तार बदलने का काम किया गया है, 4.9 किलोमीटर में तार को उँचा करने का काम किया गया है, 341 विद्युत सम्बंधन विच्छेद किया गया है तथा 4 ट्रान्सफॉर्मर में अर्थिंग का कार्य किया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि छापामारी एवं विद्युत सम्बंधन विच्छेद कार्य में तेजी लावें। दर्ज प्राथमिकी की संख्या बहुत कम है, इसे बढ़ावें तथा आने वाले गृष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुये आवश्यक तैयारी अभी से कर लें। कार्यपालक अभियंता, परियोजना द्वारा बताया गया कि गत माह में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना अन्तर्गत बेला विद्युत उपकेन्द्र में पावर ट्रान्सफॉर्मर लगाया गया है तथा दोनार विद्युत उपकेन्द्र में ब्रेकर लगाया गया है। इसके अतिरिक्त 22 किलोमीटर में केबलिंग का कार्य किया गया है एवं 163 ट्रान्सफॉर्मर में से 42 ट्रान्सफॉर्मर लगाये जा चुके है। वर्त्तमान में ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध नहीं रहने के कारण यह कार्य बन्द है। परन्तु शीध्र ही ट्रान्सफॉर्मर प्राप्त होने वाला है। राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 669 गॉवों का सर्वेक्षण हो चुका है तथा सिंहवाड़ा प्रखंड के 15 गॉव में पोल लगाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। विद्युत परियोजनाओं के लिये जमीन के संबंध में उन्होने बताया कि सिंहवाड़ा में जो जमीन उपलब्ध करायी गयी है, उसके भू–स्वामी द्वारा अनावश्यक शर्त्ते लगायी जा रही है, जो मानने योग्य नहीं है। यहाँ दूसरी भूमि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है। अपर समाहर्त्ता, दरभंगा को इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।	अपर समाहर्त्ता, दरभंगा / कार्यपालक अभियंता, शहरी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा / परियोजना

17.	ई–किसान भवन की समीक्षा के कम में पाया गया कि अग्रिम लिये जाने के बावजूद कु0स्थान एवं घनश्यामपुर प्रखंडों के किसान भवन में आगे कार्य नहीं कराया जा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा को संबंधित अभियंताओं के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने एवं राशि की वसूली हेतु कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–1 को पत्र लिखने का निदेश दिया गया। मनीगाछी प्रखंड के निर्माणाधीन ई–किसान भवन के विद्युत अधिष्ठापन आदि कार्य को पूर्ण करने के लिये अवशेष राशि की मॉग करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, दरभंगा–1 को दिया गया।	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा / कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, दरभंगा–1
18.	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के अद्यतन स्थिति की समीक्षा करने का निदेश उप विकास आयुक्त, दरभंगा को दिया गया।	उप विकास आयुक्त, दरभंगा
19.	बिहार शिक्षा परियोजना, दरभंगा अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान में अग्रिम का समायोजन शीघ्र करने हेतु जिला कार्यकम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान को निदेशित किया गया। वाणिज्यकर पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा बताया गया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में से गत वर्ष की तुलना में उन्हें अत्यधिक कम टैक्स की राशि प्राप्त हो रही है। जिला कार्यकम पदाधिकारी को टैक्स की गणना कर तदनुसार राशि वाणिज्यकर विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।	जिला कार्यकम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान
20.	जिला कार्यकम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा बताया गया कि सहायक गोदाम प्रबंधक, मनीगाछी द्वारा समय पर चावल नहीं दिये जाने के कारण मनीगाछी एवं तारडीह प्रखंडों के कई विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना बन्द हो गयी है। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को निदेश दिया गया कि उपरोक्त सहायक गोदाम प्रबंधक को 8.00 बजे प्रातः से मध्याह्न भोजन योजना का चावल निर्गत करने का निदेश दें और यदि उनके द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो उसे हटाने की कार्रवाई करें।	जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, दरभंगा
21.	समीक्षा के कम में अधीक्षक, डी0एम0सी0एच0 द्वारा बताया गया कि 5 करोड़ रूपये का डी0सी0 विपत्र कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग के जिम्मे बकाया है। सहायक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को निदेशित किया गया कि वे या तो डी0सी0 विपत्र समर्पित करावें या फिर राशि लौटाने की कार्रवाई करें। अधीक्षक द्वारा यह भी बताया गया कि शिशु विभाग के परिसर में बन रहे भवन का कार्य अभी तक अधूरा है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, दरभंगा–1 द्वारा बताया गया कि नीचे के फ्लोर का काम पूरा कर लिया गया है। पल्ला का काम बॉकी रह गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि अविलंब इस कार्य को पूरा करावें। यदि इस माह में इस कार्य को पूरा नहीं कराया जाता है तो प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा उनके विरूद्ध प्रपत्र–क गठित कर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, दरभंगा / सहायक अभियंता, भवन निर्माण विभाग / कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, दरभंगा–1

ह0/-
जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञाप संख्या........672/सी0, लहेरियासराय, दिनांक 10 मार्च, 2015.

प्रतिलिपि जिला स्तरीय सभी विभागीय/तकनीकी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा/बेनीपुर/बिरौल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/3/15
जिलाधिकारी,
दरभंगा।